रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2059] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2015/आश्विन 2, 1937
No. 2059] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2015/ASVINA 2, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर 2015

का.आ. 2608(अ).–निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

अक्षांश 26°56'15.08" उत्तर और 26°57'5.81" उत्तर तथा देशांतर 75°48' 55.70" पूर्व और 75°46'54.65" पूर्व के मध्य और राजस्थान सरकार की अधिसूचना सं. एफ. 11(39) राजस्व/8/80 तारीख 22 सितम्बर, 1980 द्वारा अधिसूचित नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जिला जयपुर, राजस्थान की अम्बर पहाड़ियों पर अरावली पर्वतमाला में स्थित है और 52.40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ।

चैम्पियन और सेठ वर्गीकरण के अनुसार अभयारण्य में 'उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन' और 'उष्णकटिबंधी कंटक वन' हैं और वन अनेक भू-वैज्ञानिक तथा मृदा निर्मितियों और अरावली के पहाड़ी भू-भागों में फैला हुआ है और इसीलिए उसकी संरचना में भिन्नता है ।

और जहाँ, वन्यजीव अभयारण्य में विविध वनस्पतियों एवं जीव-जन्तु के लिए आश्रय है और मुख्य वनस्पति बोसविलिया सेरिरेटा, लिनिया ग्रारिस, सैन. एल. कोरामनडिलिका, इमबिल्का ओफिसिनालिस, राईटिया टिनटोरिया, फिक्स गलोमिराटा, स्टेरिकोलिया यूरेनस, कससिया फिसटूला, अकाकिया केचीचू, बेटिया मोनोस्परमा, स्गजीजियम क्यूमिनी, और जीव-जन्तु में लियोपार्ड, लकड़बग्घा, सियार, भेड़िया, लेमूर, साही, बिज्जू, नेवला, चिंकारा, भारतीय वाईल्ड बोर, लोमड़ी, घड़ियाल, जंगली बिल्ली, चित्तल, सांभर, ब्लूबूल और पक्षियों कि कई प्रजातियाँ सम्मिलित है ।

और, नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से **पारिस्थितिक संवेदी जोन** के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त **पारिस्थितिक संवेदी जोन** में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य में नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारो ओर 0 से 13 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन, की सीमा के चारो ओर 0 से 13 किलोमीटर के विस्तार के साथ 79.872 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और ऐसे जोन की सीमाओं का विवरण **उपाबंध I** में दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन, राजस्थान के जयपुर जिले के अंतर्गत आने वाले 13 ग्रामों में फैला हुआ है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांकों के साथ **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) सीमा के ब्यौरों और अक्षांश तथा देशांतर सहित पारिस्थितिक संवेदी जोन के मानचित्र क्रमशः **उपाबंध III**d और **उपाबंध III**[k के रूप में उपाबद्ध है ।

(5) नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के के साथ बिन्दुओं के ग्लोबल पोजिशिंनिग सिस्टम निर्देशांकों के ब्यौरे **उपाबंध III**x के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना - (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) उक्त योजना राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) यह महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्रों में से ऐसा क्षेत्र है जो एस.टी.आर. तथा आर. टी.आर. तक बिखरे तेंदुआ जैसे पशुओं के लिए टिकने का एक साधन सिद्ध हो सकता है और इसीलिए आचंलिक महायोजना तैयार करते समय उनके अतिरिक्त संरक्षण तथा जीर्णोद्धार के लिए क्षेत्रों विशेष रुप से पहाड़ी इलाकों के क्षेत्रों की पहचान के प्रयास किए जाने चाहिए ।

(5) आचंलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित को करने के लिए राज्य के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात् :--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई ; और

(x) लोक निर्माण विभाग,

(6) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में और आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और अधिक प्रभावी और पारिस्थितिकीय अनुकूल क्रियाकलाप कारक इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो ।

(7) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(8) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(9) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास के पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदयों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, पैरा 5 के अधीन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं0 12, 18, 24, 29 और 32 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ बनाना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचयन; और

(v) कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं :

परंतु यह और भी कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए

जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन -** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना का भाग रूप होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना राजस्थान सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा राजस्व और वन विभाग राजस्थान सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केन्द्रीय सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गनिर्देशों राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, तथा द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन दिशा निर्देश (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा जिसमें पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व दिया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के 1 किलोमाटर के भीतर होटलों और रिसार्टों के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगे सिवाय पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के लिए अस्थायी निवास स्थानों के ।

परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से 1 किलोमीटर के आगे से पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए भवनों और रिसर्टों के स्थापन को केवल पूर्व परिभाषित, पदाविहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधाओं के लिए अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और अहातों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** --पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार या राजस्थान राज्य

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण)अधिनियम,1981(1981 का 14)और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार या राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में

ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के

माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इकाइयां** - (क) विधि के अनुसार स्थापित काष्ट आधारित विद्यमान उद्योगों के सिवाय प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए काष्ट आधारित उद्योगों को स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग को स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान, उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाईयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए मकानों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या मकानों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के सदभाविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मशीनों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योग का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(5)	नए बृहत जल विद्युत और सिचाई परियोजनाओं की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	पर्यटन से संबंधित जैसे वायुयान, गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु विद्यमान नए काष्ठ आधारित उद्योग विधि के चालू रह सकते हैं ।

(10)	मत्स्य ग्रहण ।	सभी जल निकायों, जिनके अंतर्गत औरई और नाहरगढ़ बांध है, में मत्स्य-ग्रहण पर पूर्ण प्रतिबंध होगा ।
(11)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग।	तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध ।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(12)	होटलों और रिसोर्टों का स्थापन ।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर कोई नया वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं किया जाएगा सिवाय पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के संबंध में पर्यटकों के अस्थायी निवास स्थानों के । परन्तु एक किलोमीटर से अधिक तथा पारिस्थितिक संवेदी जोन कि सीमा तक सभी नए पर्यटक कार्यकलाप या विद्यमान कार्यकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार होगा ।
(13)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का कोई नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगाः परन्तु यह कि स्थानीय निवासियों को उनकी घरेलू आवश्यकताओं, जिनके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के लिए अनुज्ञात किया जाएगा: परन्तु यह और कि प्रदूषण कारित न करने वाले उद्योगों से संबंधित संन्निर्माण क्रियाकलाप यथा लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित होंगे और न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ख) 1 किलोमीटर के आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सदभवी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण अनुज्ञात किया जाएगा और अन्य संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
(14)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्ही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केन्द्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों के मामले में कार्ययोजना आदेशों का अनुसरण किया जाएगा ।
(15)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक

		प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी भी स्त्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे।
(16)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	(i) भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना । (ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर विद्युत खंभे, आंचलिक महायोजना के अधीन आदेशों के अनुसार या मानीटरी समिति की सिफारिश पर लगाए जा सकेंगे ।
(17)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(18)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	यथा लागू उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनिकरण उपायों के साथ किया जाएगा ।
(19)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(20)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनचक्रण को प्रोत्साहित करना और अबमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(23)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में देशीय माल से उत्पादों का उत्पादन करने वाले गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, अनुज्ञात किए जाएंगे ।
(25)	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	वायु और यानिय प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(27)	कृषि प्रणाली में प्रबल बदलाव।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
अनुज्ञात क्रियाकिलाप :		
(28)	डेयरी, डेयरी उद्योग और मत्स्य उद्योग के साथ स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी गतिविधियां ।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात ।
(29)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

(30)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(31)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(32)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
(33)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायोगैस, सौर ऊर्जा इत्यादि को बढ़ावा दिया जायेगा।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, राजस्थान राज्य के अंतर्गत पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) जिला कलक्टर, जयपुर - अध्यक्ष

(ख) उपखंड अधिकारी, अजमेर - सदस्य ;

(ग) पर्यावरण के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किसी गैर सरकारी संगठन का प्रतिनिधि - सदस्य ;

(घ) पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक विशेषज्ञ - सदस्य ;

(ङ) माननीय वन्यजीव वार्डन, जयपुर - सदस्य ;

(च) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य;

(छ) मेयर, जयपुर नगर निगम - सदस्य;

(ज) प्रधान पंचायत समिति, अमेर -सदस्य;

(झ) उप वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर - सदस्य-सचिव ।

निर्देश निबंधन

(2) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबधित मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के

लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध IV** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध, माननीय भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन, होंगे ।

[फा. सं. 25/60/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमाएं

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कि सीमाओ को चित्राकिंत करने के लिए, राजस्व विभाग द्वारा दिए गए सभी संरचनाओं, निवास स्थानो, जननिकायों, औद्योगिक क्षेत्रो, धार्मिक स्थानो और अन्य सार्वजनिक स्थानो को उपाबंध में दिए गए मानचित्र में चिंहित किया गया है । ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टिम बिन्दुओं को 1 से 100 तक के नम्बरो द्वारा मानचित्र मे अभयारण्य कि सीमा पर अंकित किया गया है ।

पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कि सीमा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टिम के V बिन्दुओं को तदापुरांत 101 से 340 तक के अंको द्वारा मानचित्र में चिंहित किया गया है । मानचित्र उपाबंध III में उपाबद्ध है । पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की निर्धारित सीमाओं को ग्लोबल पोजिशनिंग बिन्दुओं द्वारा निम्न प्रकार मानचित्र में दर्शाया गया है-

उत्तरी सीमा :- पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कि सीमाओ पर ग्लोबल पोजिशनिंग बिन्दु संख्या 186 संरक्षित वन के ब्लाक कि सीमा पर अमेर,-54 और पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कि सीमा पर सम्मिलित ग्राम भगवारा, सिंगवाना, छिप्पारदी, जैतुपरा किन्ची, अचरौंल, अंधी, लाबाना, गुनावाना, धंध, हरबर से कुकास से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टिम बिन्दु संख्या 274, से 13 किलोमीटर होगा । पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कि सीमा से ग्लोबल पोजिशनिंग बिन्दु संख्या 186 से 174 तक, संरक्षित वन अमेर-54 के सह-टर्मिनल होगें । और संपूर्ण संरक्षित वन क्षेत्र, इन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टिम बिन्दुओं के मध्य स्थिर होगा ।

(जैसा कि उपाबंध III में दर्शाया गया है)

पूर्वी सीमा :- पारिस्थितिकीय संवेदी जोन का विस्तार ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टिम बिन्दु संख्या 275 से 284 संरक्षित वन ब्लाक सीमा, ग्लोबल पोजिशनिंग बिन्दु संख्या 284 से 285, राष्ट्रीय सड़क सं.8 (अब एनएच-II-सी) के साथ-साथ होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग बिन्दु संख्या 285 से 299, अभयारण्य सीमा 100 से 400 मीटर होगा । इसी तरह, एनएच 8 (अब II सी) कि सीमा के साथ-साथ ग्लोबल पोजिशनिंग बिन्दु 299 से 301 पारिस्थितिकीय संवेदी जोन में होगे । अभयारण्य सीमा से ग्लोबल पोजिशनिंग बिन्दु 324 से 329 पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कि सीमा में होंगे जिसमें राजमल का तालाब सम्मिलित है । ग्लोबल पोजिशनिंग बिन्दु 301 से 329 पारिस्थितिकीय संवेदी जोन का विस्तार 100 मीटर से 20 किलोमीटर होगा । ये सभी संदर्भ उपाबंध III में दिखाए गए हैं।

दक्षिणी सीमा :- पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कि सीमा के ग्लोबल पोजिशनिंग बिन्दु 329 से 340 और 101 कि अभयारण्य कि सीमा के सह टर्मिनल तक होगा । ग्लोबल पोजिशनिंग बिन्दु 101 से 104 संरक्षित वन ब्लाक अमेर-54 कि सीमा के सह-टर्मिनल होंगे । ग्लोबल पोजिशनिंग बिन्दु 104 से 108 तक अभयारण्य कि सीमा सह-टर्मिनल होंगे । ग्लोबल पोजिशनिंग बिन्दु संख्या 108 से 147, अमीनाशाह नूल्लाह कि प्राकृतिक सीमा के साथ-साथ होंगे । ये सभी सदर्भित उपाबंध III में दिये हैं ।

<u>पश्चिमी सीमा :-</u> अभयारण्य कि सीमा से, पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कि सीमा पर, ग्लोबल पोजिशनिंग बिन्दु सं. 147 से 160 सह-विस्तारित होंगे । ग्लोबल पोजिशनिंग बिन्दु 160 से 186 तक 50 मीटर से 2 किलोमीटर होगा । जिसमें भाव सागर,अखेपुरा, बढ़ागाँव, भारिया, भीजयगढ़ क्षेत्र सम्मिलित है । ये सभी संदर्भित बिन्दु उपाबंध-III मे प्रदर्शित है ।

<u>उपाबंध</u> II

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की अक्षांश और देशांतर सहित सूची

क्र. सं.	अभयारण्य ग्राम के नाम	अक्षांश	देशांतर
1	नाहरगढ़	26°56'15.08"उ	75°48'55.70" पू
2	अमेर	26°59'8.19" उ	75°51'4.82" पू
3	चिमनपुरा	27° 1'23.51" उ	75°54'4.74" पू
4	कुकास	27° 1'50.37" उ	75°53'24.08" पू
5	नेतीवास	27° 1'39.28" उ	75°52'25.41" पू
6	खुर्द	27° 2'4.37" उ	75°53'7.23"पू
7	तेलादा	27° 2'41.57" उ	75°52'25.42"पू
8	बेडेगांव झरखेया	27° 2'14.47" उ	75°51'22.67"पू
9	सिसियावास	27° 0'37.93" उ	75°50'51.32"पू
10	अकेदा	27° 0'25.41" उ	75°48'45.67"पू
11	जेसला	26°59'36.43" उ	75°49'17.09"पू
12	पेपाद	26°58'4.10" उ	75°47'41.57"पू
13	किशनबाग	26°57'5.81" उ	75°46'54.65"पू
क्र. सं.	**पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के गांव के नाम**	**अक्षांश**	**देशांतर**
1	कुकास	27° 1'50.37" उ	75°53'24.08"पू
2	हरवार	27° 3'58.08" उ	75°56'25.90"पू
3	धन्द	27° 4'44.03" उ	75°56'20.66"पू
4	गुनावाता	27° 5'34.61" उ	75°56'57.21"पू
5	लाबाना	27° 6'38.16" उ	75°57'45.56"पू
6	अनी	27° 7'5.48" उ	75°59'7.83"पू
7	अचोराल	27° 8'8.37" उ	75°58'20.78"पू
8	जैतपुरा किनची	27° 7'58.38" उ	75°55'2.24"पू
9	छिप्परारी	27° 6'44.47" उ	75°54'51.62"पू
10	सिंहाना	28° 5'52.77" उ	75°50'0.01"पू
11	चोकालयावास उर्फ केचरेवाला	27° 4'30.74" उ	75°55'2.22"पू
12	भगवाडा	27° 5'28.14" उ	75°50'51.42"पू
13	दौलतपुरा	27° 4'46.15" उ	75°49'53.80"पू

उपाबंध III **क**

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा के ब्यौरे दर्शित करने वाला मानचित्र

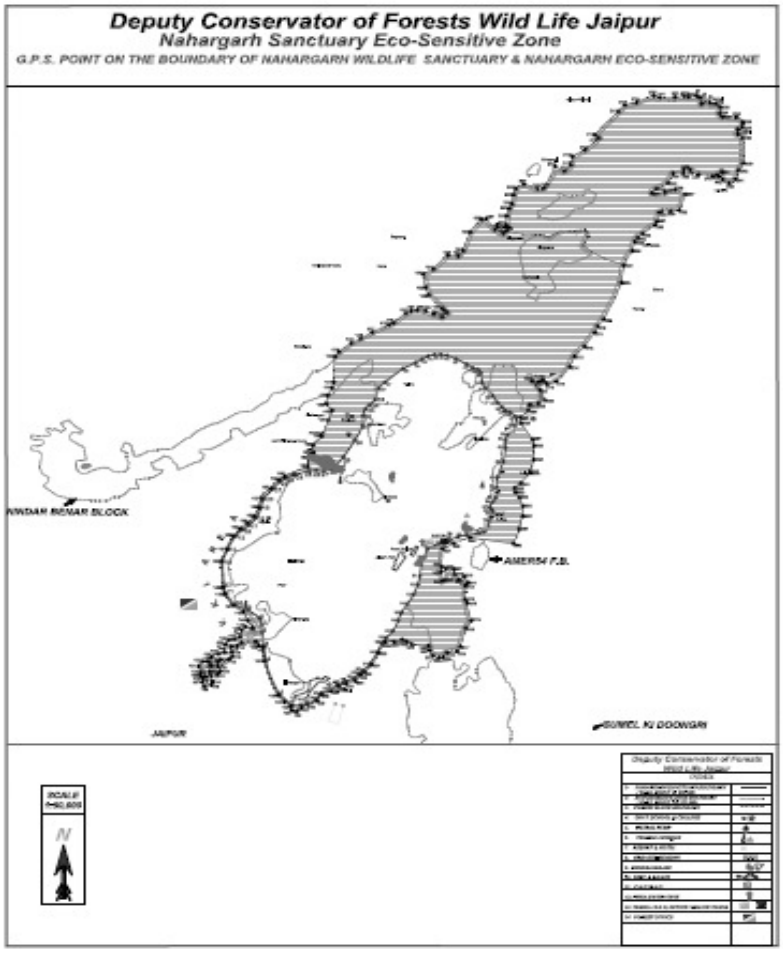

उपाबंध III ख

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकीय संवेदी जोन, राजस्थान

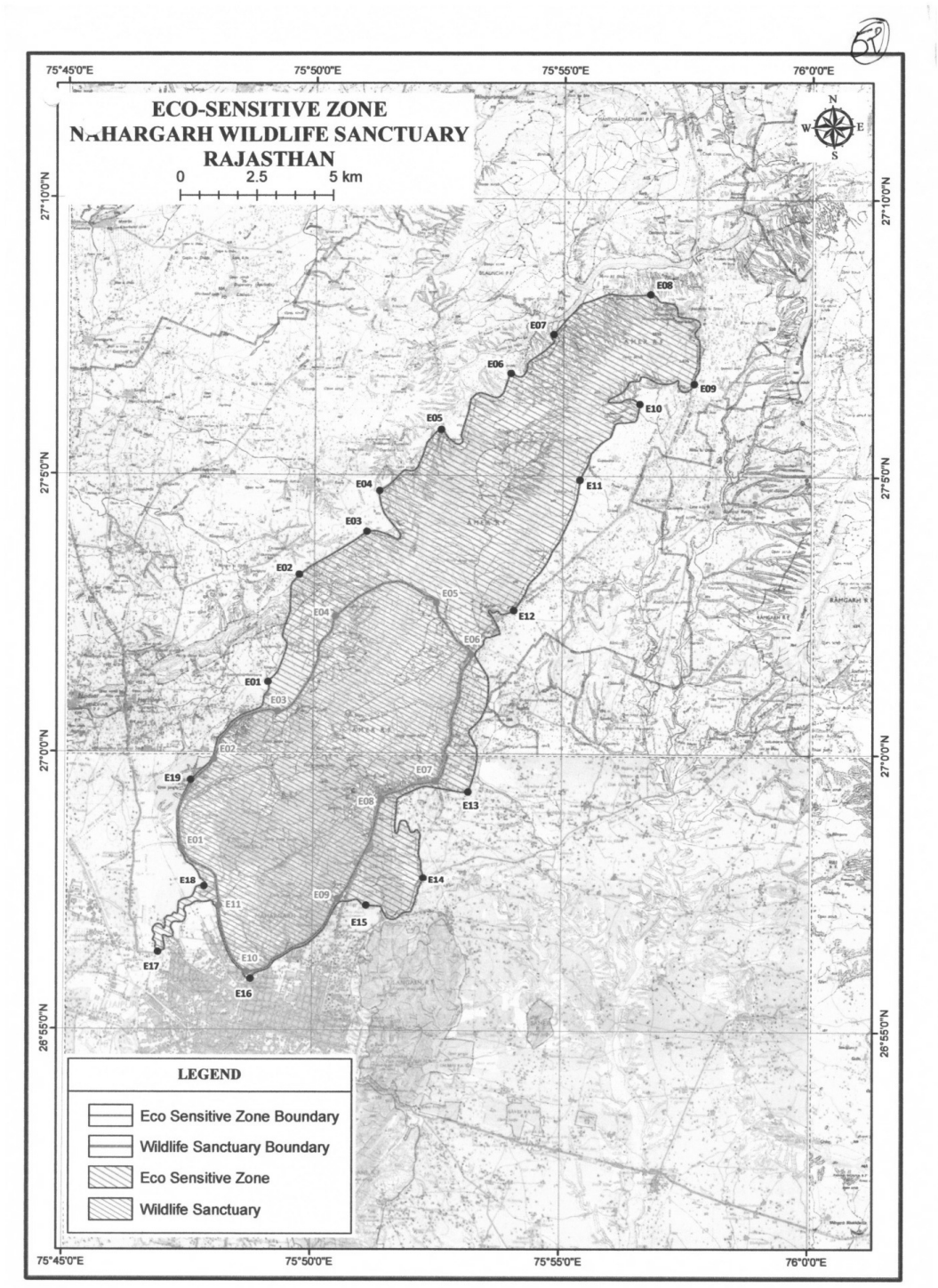

उपाबंध III ग

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं के साथ जीपीएस निर्देशांक

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ भूमंडलीय स्थिति प्रणाली के बिंदुओं का निर्देशांक

क्र.सं.	सं.	देशांतर	अक्षांश
1	पू01	75° 47.371' पू	26° 58.265' उ
2	पू02	75° 48.007' पू	26° 59.880' उ
3	पू03	75° 49.285' पू	27° 0.745' उ
4	पू04	75° 50.435' पू	27° 2.456' उ
5	पू05	75° 52.463' पू	27° 2.707' उ
6	पू06	75° 53.165' पू	27° 1.782' उ
7	पू07	75° 52.473' पू	26° 59.496' उ
8	पू08	75° 51.376' पू	26° 59.165' उ
9	पू09	75° 50.513' पू	26° 57.359' उ
10	पू10	75° 48.680' पू	26° 56.040' उ
11	पू11	75° 48.127' पू	26° 57.228' उ

नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा का ब्यौरा और नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन के बिंदुओं के भूमंडलीय स्थिति प्रणाली

क्र.सं.	सं.	देशांतर	अक्षांश
1	पू01	75° 49.086' पू	27° 1.275' उ
2	पू02	75° 49.701' पू	27° 3.207' उ
3	पू03	75° 51.057' पू	27° 3.983' उ
4	पू04	75°51.308' पू	27° 4.720' उ
5	पू05	75° 52.545' पू	27° 5.842' उ
6	पू06	75° 53.940' पू	27° 6.855' उ
7	पू07	75° 54.792' पू	27° 7.561' उ
8	पू08	75° 56.743' पू	27° 8.287' उ
9	पू09	75° 57.626' पू	27° 6.676' उ
10	पू10	75° 56.532' पू	27° 6.312' उ
11	पू11	75° 55.338' पू	27° 4.929' उ
12	पू12	75° 54.020' पू	27° 2.576' उ
13	पू13	75° 53.122' पू	26° 59.305' उ
14	पू14	75° 52.234' पू	26° 57.750' उ
15	पू15	75° 51.088' पू	26° 57.243' उ
16	पू16	75° 48.772' पू	26° 55.913' उ
17	पू17	75° 46.908' पू	26° 56.384' उ
18	पू18	75° 47.830' पू	26° 57.569' उ
19	पू19	75° 47.542' पू	26° 59.496' उ

उपाबंध IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान :

1. बैठकों की संख्या और दिनांक ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. जोनल मास्टर प्लान की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन मास्टर प्लान ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September,2015

S.O. 2608(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: - esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Nahargarh Wildlife Sanctuary lying between latitudes $26^0$56'15.08''N and $26^0$57'5.81''N and longitudes $75^0$48'55.70''E and $75^0$46'54.65''E and notified vide Government of Rajasthan notification No. F11(39) Revenue/8/80, dated the 22nd September, 1980 is situated in the Aravalli ranges at Amber hills, district Jaipur, Rajasthan and is spread across 52.40 square kilometers;

AND WHEREAS, the sanctuary has ''Tropical Dry Deciduous Forest'' and "Tropical Thorn Forest" as per Champion and Seth classification and the forest is spread over the area on various geological and soil formations and hilly terrain of Aravalis and hence varies in composition;

AND WHEREAS, the Wildlife sanctuary has a varied habitat having diversified fauna and flora and the major flora of this sanctuary includes Boswellia serrata, Linnea gradis Syn.L.coromandellica, Emblica officinalis, Wrightia tinctoria, Ficus glomerata, Sterculia urens, Cassia fistula, Acacia catechu, Butea monosperma, Syzyguim cumini where leopard, Hyaena, Jackal, Wolf, Lemur, Porcupine, Bijju, Nevla, Chinkara, Indian Wild boar, Fox, Crocodile, Jungle Cat, Chital, Sambhar, Bluebull and many species of birds comprise the main fauna of the sanctuary.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Nahargarh Wildlife Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section(1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0

to 13 kilometers around the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary in the State of Rajasthan as the Nahargarh Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-Sensitive Zone is spread over an area of 79.872 square kilometers with an extent varying from 0 to 13 kilometers around the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary and the boundary description of such Zone is given in **Annexure I**.

(2) The Eco-sensitive Zone is spread across 13 villages falling in Jaipur district of Rajasthan.

(3) The list of villages falling within Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure II.**

(4) The maps of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure III A and III B** respectively.

(5) The details of Global Positioning System coordinates of the points along the boundary of the Nahargarh Wilidlife Sanctuary and its eco-sensitive zone are appended as **Annexure-III C.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) This is one of the important protected areas which may provide stepping stone for animals dispersing from Sariska Tiger Reserve (STR) and Ranthambore Tiger Reserve (RTR) like leopard, etc. and therefore, while preparing the Zonal Master Plan attempt should be made to identify areas specially of hilly region for their additional protection and restoration.

(5) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) Rajasthan State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation;

(x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(6) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(7) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(8) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(9) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 18, 24, 29 and 32 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;

(ii) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(iii) Small scale industries not causing pollution;

(iv) Rainwater harvesting; and

(v) Cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Rajasthan in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Rajasthan.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Nahargarh Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Rajasthan State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Rajasthan State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974)and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) The inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable

	hydroelectric projects and irrigation projects.	laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law.
10	Fishing.	There shall be complete ban on fishing in all the water bodies including Orai and Nahargarh dam.
11	Use of Plastic carry bags.	Prohibited with immediate effect.
Regulated Activities		
12.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansion of existing activities shall in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines of National Tiger Conservation Authority.
13	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) beyond one kilometre upto the extent of Eco-sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.
14.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
15.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned

		Regulatory Authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
16.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(i) Promote underground cabling; (ii) Electric polis can only be erected with the recommendation of Monitoring Committee.
17.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
18.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
19.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
20.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
21.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
22.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
23.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26.	Air and vehicular pollution .	Regulated under applicable laws.
27.	Drastic Change of Agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
Promoted Activities		
28.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws.
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
32.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light, etc. to be promoted.

5. Monitoring Committee- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone falling in the State of Rajasthan , which shall comprise of the following, namely:-

(a) District Collector, Jaipur - Chairman;

(b) Sub Divisional Officer, Amer - Member;

(c) A representative of Non-Government Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of one year in each case. - Member;

(d) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of one year in each case. - Member;

(e) Honorary wildlife warden, Jaipur - Member;

(f) Regional Officer, Rajasthan State Pollution Control Board - Member;

(g) Mayor Jaipur Municipal Corporation - Member;

(h) Pradhan, Panchayat Samiti, Amer - Member;

(i) Dy.Conservator of Forest/wildlife Jaipur -Member Secretary;

Terms of Reference:

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal .

[F. No. 25/60/2015-ESZ/RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Description of Boundaries of proposed Eco-sensitive Zone

In order to delineate boundaries of Eco-sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary all field structures, habitations, water bodies, Industrial areas, religious places and other public institutes as provided by the revenue authorities have been marked on the map annexed with this notification. Global Position System have been marked on the Sanctuary boundaries, which are numbered from 1 to 100 on the map. Then the boundaries of Eco-sensitive Zone have also been marked on the same map and its Global Position System points have also marked on the boundary and numbered as 101 to 340.This map is annexed as Annexure-III. The boundary of Eco- sensitive Zone is decided as indicated by the Global Position System points shown on this map as under:-

Northern boundary: The extent of Eco-sensitive Zone from Global Position System point number 186 marked on reserve forest block boundary Amer -54 and Eco-sensitive Zone boundary including villages Bagwara, Singwana, Chhapradi, Jaitpura Khinchi, Achrol, Aandhi, Labana, Gunawata, Dhandh, Harbar to Kukas to Global Position System point number 274 will be 13 kilometers. Eco-sensitive Zone boundary from Global Position System point number 186 to 174 is co-terminus with the boundary of reserve forest block Amer-54 and will include the whole reserve forest in the Eco-sensitive Zone within these Global Position System points.(As shown in Annexure-III)

Eastern boundary: The extent of Eco-sensitive Zone from Global Position System point number 275 to 284 will be Reserve forest block boundary, from Global Position System point number284 to 285 will be along National Highway No. 8(Now NH 11-C),from Global Position System point number 285 to 299 will be 100 metres to 400 meters

from sanctuary boundary.Similarly,the boundary along NH 8(Now 11 C) from Global Position System point 299 to 301 will be Eco sensitive zone. Reserve forest block boundary from GPS point number 301 to 324 will be Eco sensitive zone limit. Sanctuary boundary from Global Position System point number 324 to 329 will be Eco-sensitive Zone limit including Rajamal ka talab. The extent of Eco-sensitive Zone from Global Position System point number 301 to 329 will be from 100 meters to 2.0 kilometers. All these reference points will have been as shown in Annexure –III.

Southern boundary: Eco-sensitive Zone boundary from Global Position System point number 329 to 340 and up to 101 will be co-terminus with the boundary of Sanctuary. From Global Position System point number 101 to 104 it will be co-terminus with the boundary of reserve forest Block Amer-54. From GPS point number 104 to 108 it will be co-terminus with the boundary of Sanctuary. From Global Position System point number 108 to 147 it will run along the natural boundaries (flow as well as bed area upto both banks)of Amanishah nullah. All these reference points will be as shown in Annexure –III.

Western boundary: Eco-sensitive Zone boundary from Global Position System point number 147to 160 will be co-terminus with the boundary of sanctuary. From Global Position System point number 160 to 186 it will be 50 meters to 2 kilometers including Bahav sagar, Akhepura, Badagao, Bhatiya, Bishangarh areas. All these reference points will be as shown in Annexure–III.

Annexure II

Details of the villages in Nahargarh Wildlife Sanctuary and its Eco Sensitive Zone alongwith the Latitude and Longitude

S.No.	Name of Sanctuary village	Latitude	Longitude
1	Nahargarh	26°56'15.08"N	75°48'55.70"E
2	Amer	26°59'8.19"N	75°51'4.82"E
3	Chimanpura	27° 1'23.51"N	75°54'4.74"E
4	Kukas	27° 1'50.37"N	75°53'24.08"E
5	Netiwas	27° 1'39.28"N	75°52'25.41"E
6	Khurad	27° 2'4.37"N	75°53'7.23"E
7	Taleda	27° 2'41.57"N	75°52'25.42"E
8	Badagaon Jarkhya	27° 2'14.47"N	75°51'22.67"E
9	Sisiyawas	27° 0'37.93"N	75°50'51.32"E
10	Akeda	27° 0'25.41"N	75°48'45.67"E
11	Jeslya	26°59'36.43"N	75°49'17.09"E
12	Papad	26°58'4.10"N	75°47'41.57"E
13	Kishanbag	26°57'5.81"N	75°46'54.65"E
	Eco Sensitive Zone of Village	**Latitude**	**Longitude**
1	Kukas	27° 1'50.37"N	75°53'24.08"E
2	Harwar	27° 3'58.08"N	75°56'25.90"E
3	Dhand	27° 4'44.03"N	75°56'20.66"E
4	Gunawata	27° 5'34.61"N	75°56'57.21"E
5	Labana	27° 6'38.16"N	75°57'45.56"E
6	Ani	27° 7'5.48"N	75°59'7.83"E
7	Achoral	27° 8'8.37"N	75°58'20.78"E
8	Jaitpura Khinchi	27° 7'58.38"N	75°55'2.24"E
9	Chhapreri	27° 6'44.47"N	75°54'51.62"E
10	Singhana	28° 5'52.77"N	75°50'0.01"E
11	Chokhalyawas urf Kacherawala	27° 4'30.74"N	75°55'2.22"E
12	Bagwada	27° 5'28.14"N	75°50'51.42"E
13	Daulatpura	27° 4'46.15"N	75°49'53.80"E

Annexure III A

Map of Nahargarh Wildlife Eco-Sensitive Zone showing boundary details

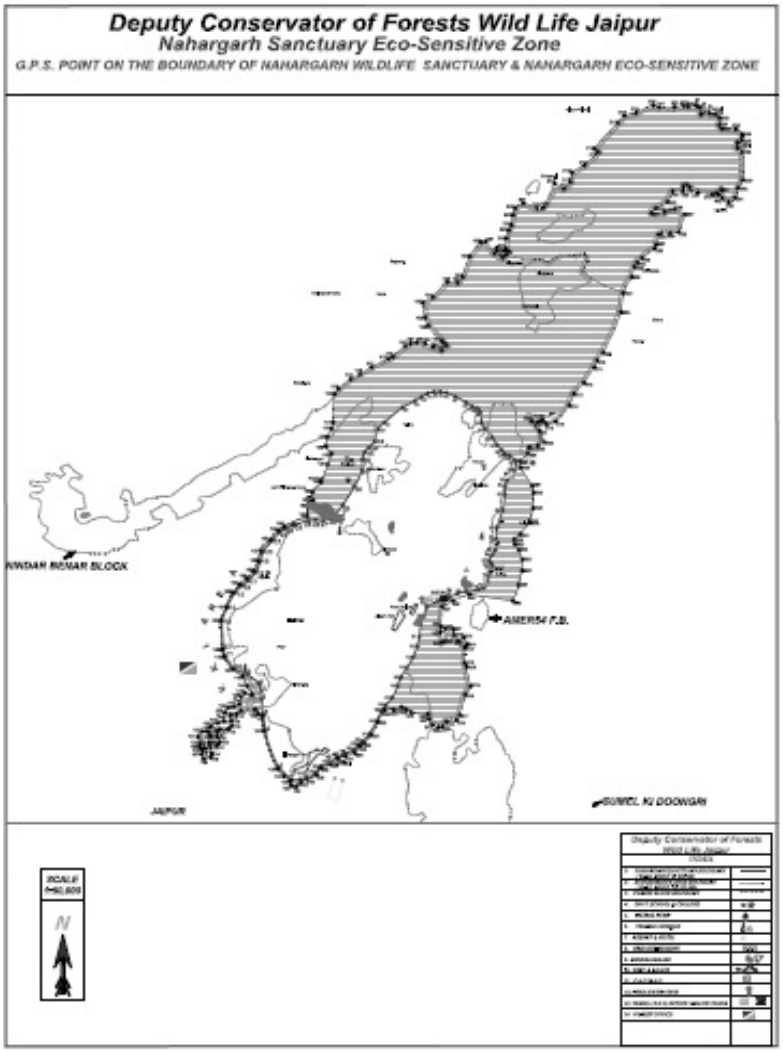

Annexure III B

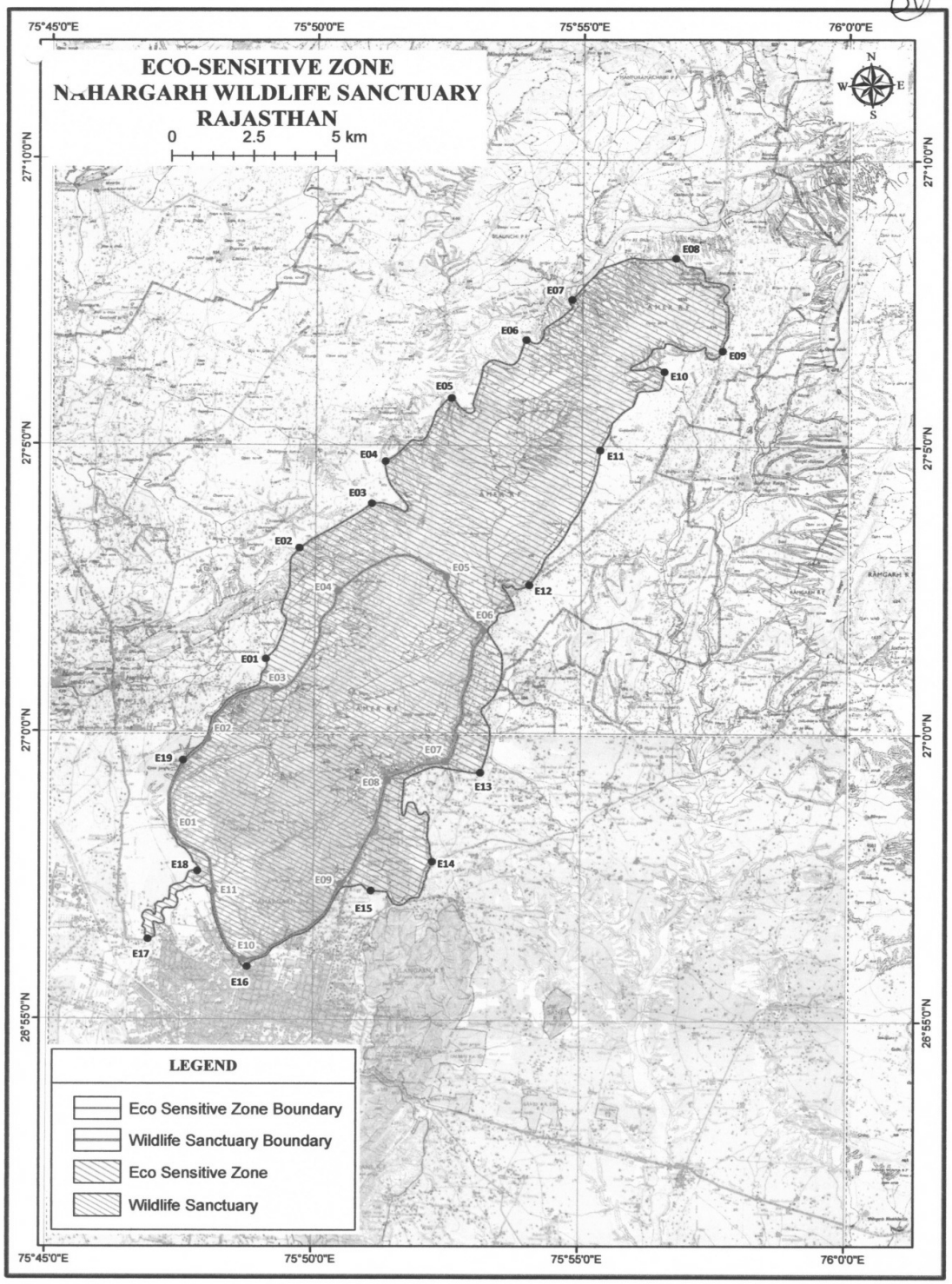

Annexure III C

Geographical Positioning System Co-ordinates of points along the boundary of Nahargarh Wildlife Sanctuary

Sl. No.	No.	Longitude	Latitude
1	E01	75° 47.371' E	26° 58.265' N
2	E02	75° 48.007' E	26° 59.880' N
3	E03	75° 49.285' E	27° 0.745' N
4	E04	75° 50.435' E	27° 2.456' N
5	E05	75° 52.463' E	27° 2.707' N
6	E06	75° 53.165' E	27° 1.782' N
7	E07	75° 52.473' E	26° 59.496' N
8	E08	75° 51.376' E	26° 59.165' N
9	E09	75° 50.513' E	26° 57.359' N
10	E10	75° 48.680' E	26° 56.040' N
11	E11	75° 48.127' E	26° 57.228' N

Geographical Positioning System Co-ordinates of points along the boundaryof Eco-Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary

Sl. No.	No.	Longitude	Latitude
1	E01	75° 49.086' E	27° 1.275' N
2	E02	75° 49.701' E	27° 3.207' N
3	E03	75° 51.057' E	27° 3.983' N
4	E04	75°51.308' E	27° 4.720' N
5	E05	75° 52.545' E	27° 5.842' N
6	E06	75° 53.940' E	27° 6.855' N
7	E07	75° 54.792' E	27° 7.561' N
8	E08	75° 56.743' E	27° 8.287' N
9	E09	75° 57.626' E	27° 6.676' N
10	E10	75° 56.532' E	27° 6.312' N
11	E11	75° 55.338' E	27° 4.929' N
12	E12	75° 54.020' E	27° 2.576' N
13	E13	75° 53.122' E	26° 59.305' N
14	E14	75° 52.234' E	26° 57.750' N
15	E15	75° 51.088' E	26° 57.243' N
16	E16	75° 48.772' E	26° 55.913' N
17	E17	75° 46.908' E	26° 56.384' N
18	E18	75° 47.830' E	26° 57.569' N
19	E19	75° 47.542' E	26° 59.496' N

Annexure IV

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record .

   (Details may be attached as Annexure).
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.